कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 / 2192 दिनांकः– 20 अप्रेल 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 18 अप्रेल 2023 को सांय 04:00 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 107, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 21–02 बीघा में से 100' x 80' यानि 743.20 वर्गमीटर भूमि में रा.प्रा.विद्यालय, मरूधर नगर प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 107 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मरूधर नगर प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 107, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 21–02 बीघा में से 100' x 80' यानि 743.20 वर्गमीटर भूमि रा.प्रा. विद्यालय, मरूधर नगर, खारड़ा रणधीर को विद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटन की मांग की गई है।

जोन पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका एवं स्वामित्व रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित स्थल पर 75' x 100' में विद्यालय भवन निर्मित है तथा मौका अनुसार 40 फीट व 30 फीट पहुॅच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेण्ट प्लान/जोनल डवलपमेण्ट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर डवलपमेण्ट प्लान की डी.सी.आर. अनुसार प्राथमिक विद्यालय को 40 फीट, माध्यमिक विद्यालय को 60 फीट एवं सीनियर विद्यालय को 80 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार उक्त भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 587, दिनांक 17.01.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है, जिसके क्रम में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 107, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 21–02 बीघा में से 100' x 80' यानि 743.20 वर्गमीटर भूमि में रा.प्रा.विद्यालय, मरूधर नगर प्रयोजनार्थ भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 107 किस्म गै.मु. गोचर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मरूधर नगर प्रयोजनार्थ 743.20 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: **राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 रकबा 08.19.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय माली समाज सेवा समिति सालावास, सांगरिया, झालमण्ड को सामाजिक जन उपयोगी एवं शैक्षिणक उत्थान हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 रकबा 08.19.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय माली समाज सेवा समिति सालावास, सांगरिया, झालमण्ड को सामाजिक जन उपयोगी एवं शैक्षिणक उत्थान हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष माली समाज सेवा समिति सालावास सांगरिया झालामण्ड, जोधपुर द्वारा प्रपत्र–अ प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 रकबा 08.19.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय में सामाजिक जन उपयोगी एवं शैक्षिणक उत्थान हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर, निश्क्तजन/मूक–बधिरों के विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर, छोट अस्पताल (25–50 शैयाओं तक) 3000 वर्गमीटर, सामुदायिक केन्द्र 1500 वर्गमीटर, वृद्धाश्रम/अनाथ आश्रम 1000 वर्गमीटर, वाल्मिकी भवन, कुष्ठाश्रम, प्रेस क्लब, सार्वजनिक पुसतकालय, वाचनालय, धर्मशाला, कामकाजी महिला छात्रावास, रैन बसेरे, बस शैल्टर 1000 वर्गमीटर भूमि, शमशान, कब्रिस्तान 3000 वर्गमीटर भूमि एक ही खसरे की भूमि पर विभिन्न प्रयोजनार्थ रियायती दर पर आवंटन करने की मांग की गई। प्राधिकरण के पटवारी से स्वामित्व की जॉच करवाई गई, जॉच में पाया कि ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 रकबा 08.19.04 बीघा किस्म बारानी तृतीय राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि पर तारबन्दी कर एक पुराना 20×20 बरामदा, मन्दिर एवं कमरा निर्मित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास के खसरा सख्या 90 में कोई वाद विवाद लम्बित नहीं हैं। भूमि आवंटन की नीति 2015 के प्रावधान अनुसार आम जन की टिप्पणी/आपत्ति हेतु प्राधिकरण की वेब साईट पर सूचना अपलोड़ की गई। प्रकरण में भूमि आवंटन के संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्राधिकरण की आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 रकबा 08.19.04 बीघा भूमि में अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन नहीं हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग P.U. (Public Utility) प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। मास्टर प्लान

Scanned with OKEN Scanner

2031 की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.7 जन उपयोगिता में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरैज, ठोस कूडा प्रबधन, जल निकास इत्यादी सम्मलित का उल्लेख हैं। संस्था द्वारा चाहे गये भू–उपयोग का पृथक से उल्लेख नहीं हैं। संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(62)नविवि/जोविप्रा/2022 जयपुर दिनांक 14.10.2022 के बिन्दु सख्या 10 में भूमि की कीमत काफी अधिक होने के कारण संस्था से अन्यत्र जगह की सहमति ली जाकर प्रकरण में समुचित प्रस्ताव तैयार कर प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किया गये। राज्य सरकार के निर्देशानुसार संस्था को अन्यत्र भूमि आवंटन का प्रस्ताव भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। संस्था द्वारा मौखिक तौर पर अन्यत्र स्थान पर भूमि आवंटन करने के बजाय ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 में ही भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रकरण प्राधिकरण की भूमि निस्तारण समिति समक्ष निर्णायार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को सूचनाओं के अभाव के कारण स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 412/01 किस्म बारानी–द्वितीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागोरियो की ढाणी हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 412/01 किस्म बारानी–द्वितीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागोरियो की ढाणी हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, केरू– जोधपुर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 412/01 किस्म बारानी–द्वितीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागोरियो की ढाणी हेतु 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त खसरे में राजकीय विद्यालय संचालित हो रहा है। विद्यालय में दो छपरे लगे हुये है तथा शेष भूमि रिक्त पडी है। उक्त भूमि में चारदीवारी की हुयी है। उक्त खसरा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार यू–2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है व डीसीआर अनुसार सरकारी विद्यालय को 18 मी. व अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। उक्त भूमि जेडडीपी की 24 मीटर सडक पर स्थित है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे माननीय उच्च न्यायालय में 16/2017, 17/2017 वाद लंबित था जिसका निस्तारण किया जा चुका है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 17.02.2023 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 412/01 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर– 2000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानों पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

आवंटन नीति – 2015 के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। अत पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, माणकलाव, मण्डोर, जोधपुर, द्वारा ग्राम माणकलाव खसरा संख्या 412/01 किस्म बारानी-द्वितीय कुल रकबा 02.10 बीघा में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटन का आवेदन किया है। 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 412/01 किस्म बारानी-द्वितीय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागोरियो की ढाणी हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 किस्म गै.मु. भाकर में जल जीवन मिशन अंतर्गत उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 किस्म गै.मु. भाकर में जल जीवन मिशन अंतर्गत उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड ओसियां, जिला जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 किस्म गै.मु. भाकर में जल जीवन मिशन अंतर्गत उच्च जलाशय हेतु 2091.38 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 किस्म गै.मु. भाकर रकबा 4.1359 हेक्टेयर उक्त खसरा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग एमडीपी/जेडडीपी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है व डीसीआर अनुसार उच्च जलाशय का पृथक से उल्लेख नही है। Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 17/02/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 कुल रकबा 2091.38 वर्गमीटर की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

अतः ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 किस्म गै.मु. भाकर में से जल जीवन मिशन अंतर्गत उच्च जलाशय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.3(55)नविवि/3/2022 पार्ट दिनांक 05 जुलाई 2021 के आदेशानुसार जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त आदेश की पालना में ग्राम बिजवाडिया के खसरा संख्या 170 किस्म गै.मु. भाकर में जल जीवन मिशन अंतर्गत उच्च जलाशय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के खसरा संख्या 1909/48, 1929/48, 1931/48, 1933/48, 1961/48 में श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर निबडी मण्डोर को भूमि आवंटन हेतु।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के खसरा संख्या 1909/48, 1929/48, 1931/48, 1933/48, 1961/48 में श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर निबडी मण्डोर को भूमि आवंटन हेतु।	ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के खसरा संख्या 1909/48, 1929/48, 1931/48, 1933/48, 1961/48 में श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर निबडी मण्डोर को भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के खसरा संख्या 1909/48, 1929/48, 1931/48, 1933/48, 1961/48 में अध्यक्ष श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर निबडी मण्डोर द्वारा 34.08 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु मांग की है।

पटवारी रिर्पोट अनुसार ग्राम मण्डोर के श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के प्रतिनिधि के साथ मौका देखा गया। प्रतिनिधि द्वारा बताई गई भूमि पर गौशाला, गार्डन, बड़ा हॉल, खैल मैदान, व मन्दिर बना हुआ है। यह भूमि जोधपुर नागौर रोड़ से लगभग 1100 मीटर अंदर स्थित है, जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं किस्म गै.मु. मुमकिन पहाड़ है।

Scanned with OKEN Scanner

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त क्षेत्र हिल्ली एवं रोकी व कुछ आवासीय तथा वृक्षारोपण पट्टी, नाले हेतु आरक्षित है। कनिष्ट अभियंता की रिपोर्ट अनुसार उक्त क्षेत्र की ढलान 8' से 11' डिग्री के बीच है जो मास्टर डवलपमेंट प्लान रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 5.9 के अनुसार 15 डिग्री से कम ढलान वाले पहाडी भूमियों पर आवासीय डीसीआर के अनुसार उपयोग अनुज्ञेय है। अतः वृक्षारोपण पट्टी व नाले की भूमि काटने के बाद आवंटन योग्य भूमि 25.10 बीघा अर्थात 40645.20 व.मी. बचती है। जिसका मौके पर चालू रास्ता 30 फीट लगता है जिसे 60 फीट प्रस्तावित किया गया है।

आवेदित प्रकरण के संबंध में लोक सूचना जारी की जा चुकी है। निर्धारित समय पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

भूमि आवंटन नीति–2015 में उक्त प्रयोजनार्थ 1000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है। लेकिन आवेदित संस्था द्वारा 25.10 बीघा भूमि अर्थात 40645.20 व.मी. भूमि आवंटन की मांग की है। अतः प्रकरण आवंटन नीति में शिथिलता एवं स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। आवेदित भूमि की अविकसित भूमि की भूमि की आवासीय आरक्षित दर 6500/– रूपये प्रति वर्गमीटर है जो कार्याकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के द्वारा निर्धारित है।

चुंकि मांगी गई आंवटन नीति में उल्लेखित प्रावधान से अधिक है। अतः इस संबंध में औचित्य की टिप्पणी यह है कि आवंटित भूमि का कई प्रकार से उपयोग किया जा रहा है यथा गौशाला, गार्डन, खैल मैदान, सामुदायिक हॉल, मन्दिर आदि के रूप में किया जा रहा है। इसी कारण अधिक भूमि की मांग की गई है।

ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के खसरा संख्या 1909/48, 1929/48, 1931/48, 1933/48, 1961/48 में कुल क्षेत्रफल 34.08 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ मे से 25.10 बीघा अर्थात 40645.20 व.मी. भूमि श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर निबडी मण्डोर को भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार श्री सैनिक क्षत्रिय माली मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर ग्राम निम्बा निमड़ी मण्डोर के खसरा संख्या 1909/48, 1929/48, 1931/48, 1933/48, 1961/48 किस्म गै.मु, पहाड़ कुल क्षेत्रफल 34.08 बीघा मे से 25.10 बीघा अर्थात 40645.20 व.मी. भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत रियायती दर पर आवंटन की अभिशंषा की जाती है। संस्था के आवेदन अनुसार प्रकरण भूमि आवंटन नीति में शिथिलता एवं रियायती दर पर भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 192 व 193 में अध्यक्ष, जोधाणा जनकल्याण सेवा समिति को वृद्धाश्रम हेतु 2622 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 192 व 193 में अध्यक्ष, जोधाणा जनकल्याण सेवा समिति को वृद्धाश्रम हेतु 2622 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 192 व 193 में अध्यक्ष, जोधाणा जनकल्याण सेवा समिति को वृद्धाश्रम हेतु 2622 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध मे

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 192 व 193 में काटी गई कॉलोनी अध्यक्ष जोधाणा वृद्धाश्रम जोधाणा जनकल्याण सेवा समिति जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र अ में आवेदन प्रस्तुत कर वृद्धाश्रम हेतु भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी रिपोट अनुसार जोधणा वृद्धाश्रम महामन्दिर जोधपुर का मौका देखा गया। उक्त वृद्धाश्रम में कमरे, पार्क व हॉल व निर्मित है एवं मौकाबिरान से पुछताज करने पर बताया गया कि उक्त निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा किया गया ह। पत्रावली में संलग्न राजस्व जमाबन्दी अनुसार खसरा सं 192 व 193 रकबा 19.19 बीघा गै. मु आबादी मनोहर कंवर पत्नि श्री बाबूलाल वगैराह के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसका ले–आउट प्लान पूर्व में एसटीपी जोधपुर द्वारा अनुमोदित थी। प्रशासन शहरो के संघ अभियान में उक्त खसरों की सु.ओं में 90 ए की कार्यवाही की जा चुकी है तथा वर्तमान में भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। जहाँ जोधाणा वृद्धाश्रम निर्मित है। वह भूमि ले–आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र है। टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत सुविधा क्षेत्र की भूमि जेडीए की होती है जिसका जेडीए भूमि निष्पादन नियम के अनुसार निष्पादन कर सकता है। आवेदित भूमि को पहूँच मार्ग 30 फीट है जो अनुमोदित ले–आउट प्लान का है। अर्थात आवेदित भूमि पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान का भाग है।

उक्त संबंध में जोडीए की वेबसाइट पर आम सूचना जारी की जा चुकी है। आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

भूमि आवंटन नीति –2015 के अन्तर्गत वृद्धाश्रम हेतु संभाग स्तर पर 1000 वर्गमीटर भूमि का प्रावधान है जबकि आवेदित संस्था द्वारा 2622 व.मी. भूमि आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटन की मांग की है। उक्त क्षेत्र की आरक्षित भूमि की आवासीय आरक्षित दर 6500/– रूपये प्रति वर्गमीटर है जो कार्याकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के द्वारा निर्धारित है।

अतः प्रकरण शिथिलता हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना होगा।

अतः आवेदित संस्था को वृद्धाश्रम हेतु 2622 व.मी. भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर दिये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्रम जोधपुर के खसरा सं 192 व 193 में अनुमोदित योजना की सुविधा क्षेत्र की भूमि 2622 व.मी. जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति जोधपुर को वृद्धाश्रम हेतु आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है। सस्था के आवेदन अनुसार भूमि आवंटन नीति मेंं शिथिलता तथा रियायती दर पर आवंटन हेतु प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/ 2193-98 दिनांकः– 20 अप्रेल 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतुः–

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव/प्रभारी अधिकारी (भूमि)/प्रभारी अधिकारी ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

6 ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट –1

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18 अप्रेल 2023 को सांय 04:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

01. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक – विधि , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री रविन्द्र कुमार , उपायुक्त जोन–3 , जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर।
04. श्री श्रवण कुमार , उपायुक्त जोन–6 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री अनुज अग्रवाल , कार्यवाहक निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त जोन–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्रीमति मृदुला शेखावत , उपायुक्त जोन –1 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Scanned with OKEN Scanner